समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय

आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार पटना के पत्र संख्या –प0नि0 30–103/2015–2026, दिनांकः–04.12.2015 के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 –मार्च–मई 2016 में संभावित होने एंव निर्वाचन के सफल संचालन हेतु निम्नांकित कोषांग का गठन किया जाता है।

1. कार्मिक कोषांग

इस कोषांग का गठन आसन्न पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए कार्मिक/पदाधिकारी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदानदल, गश्तीदल, दण्डाधिकारी, सेक्टर दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार अन्य कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु जिलान्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सूची इस कोषांग द्वारा प्राप्त कर इनका नियुक्ति पत्र तैयार कर इसका तामिला कराना इस कोषांग का मुख्य दायित्व होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 हेतु मुंगेर जिला के लिए कुल 10 चरणों में मतदान का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः इसे देखते हुए मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त किसी कर्मी को तीन चरणों से अधिक मतदान के लिए प्रतिनियुक्त नहीं करना होगा। कोषांग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम चरण में होने वाले निर्वाचन की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र का तामिला निश्चित रूप से करा दिया जाय ताकि इन कर्मियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण तीन चरणों में दिलाया जा सके।

मतदान दलों के गठन में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि मतदान कर्मी का गृह प्रखंड एवं पदस्थापन का प्रखंड प्रतिनियुक्ति स्थल से भिन्न प्रखंड हो।

गश्तीदल दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सब जोनल दण्डाधिकारी के लिए भी नियुक्ति पत्र तैयार करना और इनका तामिला कराने का कार्य इसी कोषांग के जिम्मे होगा। नियुक्त दण्डाधिकारियों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त रूट चार्ट प्रतिवेदन के आधार पर मतदान केन्द्रवार जिला मुख्यालय को केन्द्र मानते हुए इस कोषांग द्वारा रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। इस दण्डाधिकारियों को जिस तिथि को योगदान देने हेतु जिला मुख्यालय बुलाया जायेगा उस तिथि को ही उन्हें अग्रिम यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार लिपिकों एवं नाजिरों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगें। सभी नियुक्ति पत्र के तामिला के लिए आवश्यकता एवं अधियाचना के आलोक में वाहन कोषांग द्वारा वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

मतदान कर्मियों को यात्रा भत्ता अग्रिम भुगतान की देय राशि की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से लेने के बाद तदनुसार प्रखंडवार राशि की गणना कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को राशि उप आवंटित की जायेगी। इसका भुगतान कार्मिकों को उनके योगदान देने वाले निर्धारित प्रखंडों में किया जायेगा। वरीय उप समाहर्त्ता कार्मिक कोषांग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भुगतेय राशि का प्रखंडवार आकलन कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु विवरणी वितरण की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे ताकि भुगतान हेतु राशि उपलब्ध ससमय करायी जा सके। अग्रिम का भुगतान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मतगणना हेतु पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/सहायकों/अनुसेवकों का नियुक्ति पत्र तैयार करना एवं तामिला कराना आदि भी इसी कोषांग का दायित्व होगा। यह कोषांग समाहर्त्ता के न्यायालय कक्ष में कार्यरत रहेगा।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कार्यालय परिचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है:–

पदाधिकारी :–

1. श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर (वरीय पदाधिकारी)।